



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 11/2025/D-62

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 260552 दिनांक 09/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गु.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Mahesh Sharma S/o SHIV DAYAL SHARMA	श्री शम्भु दयाल पुत्र श्री अर्जुन जाट	486	45.00 SQ. METER	JDA	ADITYA VIHAR Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	श्री महेश शर्मा पुत्र श्री शिव दयाल शर्मा द्वारा जविप्रा की आवासीय योजना आदित्य विहार के भूखण्ड संख्या 486 क्षेत्रफल 45.00 वर्गमीटर का लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड की लीजडीड क्रमांक 1149 दिनांक 03.08.2015 द्वारा श्री शम्भु दयाल पुत्र श्री अर्जुन जाट के पक्ष में जारी की गयी है। तत्पश्चात श्री शम्भु दयाल ने रजि. मुख्तयारनामा दिनांक 10.11.2014 को श्री मूलचन्द शर्मा पुत्र श्री बद्रीनारायण शर्मा



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

को मु.आम
नियुक्त किया
गया है। तत्पश्चात
श्री मूलचन्द शर्मा
बहैसियत मु.आम
श्री शम्भु दयाल
द्वारा रजि. विक्रय
पत्र दिनांक
11.08.2015 को
श्री राकेश कुमार
शर्मा पुत्र स्व. श्री
रामस्वरूप शर्मा
को बेचान किया
गया है। तत्पश्चात
श्री राकेश कुमार
शर्मा ने रजि.
विक्रय पत्र दिनांक
07.03.2025 को
श्रीमती प्रेम देवी
पत्नि श्री रमेश
चन्द मीणा को
बेचान किया गया
है। तत्पश्चात
श्रीमती प्रेम देवी
ने रजि. विक्रय
पत्र दिनांक
08.08.2025
द्वारा आवेदक श्री
महेश शर्मा पुत्र श्री
शिव दयाल शर्मा
को बेचान किया
गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Mahesh Sharma S/o SHIV DAYAL SHARMA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।